

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है।

**प्रमुख खंडकी केकय आवासीय मधीजनार्थ**  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 139 दिनांक 13/06/2019  
प्राची श्रीलक्ष्मी लैड्स राठौर डी.एम. लैड्स राठौर  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
घारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
कर स्वनिर्धारण राजस्व रुपये 22,526/- अर्थात्  
जरिये रसीद संख्या 1069/4466, 4467  
दिनांक 13/06/2019 को जमा करा दी है।

P.No: 145 पीएल नगर "A" डी.जे.एस  
कॉम्पनी खसरा सं. 133 ग्राम पीथर

प्राचीपकीर  
नगर निगम, जोधपुर

13/06/2019  
नगर निगम, जोधपुर

Received  
Sd/-  
9214071990  
Chander Singh